राजस्व रिकॉर्ड ... अधिकारी तहसीलदार
... १४.न. 21/2025

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर आहक हुक्म
17.10.2025 पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी जा चूकी है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को न्यायाहित में स्वीकार किए जाने योग्य पाए जाने पर स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.16 13:27:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
21 / 2025	2025 / 62	17.02.2025	17.10.2025

उनवान प्रकरण

भवानीसिंह उर्फ मुकेशसिंह पुत्र रामकुंवारसिंह जाति राजपूत निवासी बाडी जोहडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज. हाल निवासी 6 दुर्गा कॉलोनी विस्तार एन.बी.सी. क्वार्टर के पीछे खातीपुरा रोड जयपुर राज.

–वादी–

बनाम्

भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

––प्रतिवादी––

उपस्थित :–

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका, एड0 वादी अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी की ओर से।

वाद पत्र बाबत् उद्घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड
(अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि. 1955)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.16 13:27:06 IST
Reason: SelfAttested

–: निर्णय :–

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर राजस्थान में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 640 रकबा 0.03 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 594, 595 कुल किता 2 कुल रकबा 0.89 हैक्टर, खसरा नम्बर 597 रकबा 0.01 हैक्टर व खसरा नम्बर 6023, 604, 605, 606, 607 कुल किता 5 कुल रकबा 1.91 हैक्टर खसरा नम्बर 598 रकबा 5.03 हैक्टर मे वादी का नाम मुकेशसिंह पुत्र रामकुंवारसिंह दर्ज है। जबकि वादी का वास्तविक नाम भवानीसिंह पुत्र रामकुंवारसिंह है। वादी के समस्त सराकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक, पेन कार्ड, परिवार राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, शैक्षणिक रिकार्ड आदि मे वादी का नाम भवानीसिंह पुत्र रामकुंवारसिंह दर्ज है । उक्त वर्णित भूमि मे वादी को घर पर बोलते नाम मुकेशसिंह पुकारने के कारण विरासत का नामान्तरण खोलते समय मुकेशसिंह कर दिया गया एवं वादी का वास्तविक नाम भवानसिंह पुत्र रामकुंवारसिंह ही है एवं यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त वर्णित भूमि के नामान्तकरण दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों की गफलत व लापरवाही के कारण वादी के घर बोलते नाम मुकेशसिंह दर्ज कर दिया गया, जिससे वादी को सख्त हकतल्फी है एवं वादी को राज्य सरकार व केन्द्र सरकार से मिले वाली सुविधाओं में परेशानी आ रही है। इसलिए वादी का नाम उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी में मुकेशसिंह के स्थान पर भवानीसिंह उर्फ मुकेशसिंह पुत्र रामकुंवारसिंह घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व आवश्यक हैं। वादपत्र वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि राजस्व ग्राम रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर राजस्थान में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 640 रकबा 0.03 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 594, 595 कुल किता 2 कुल रकबा 0.89 हैक्टर, खसरा नम्बर 597 रकबा 0.01 हैक्टर व खसरा नम्बर 6023, 604, 605, 606, 607 कुल किता 5 कुल रकबा 1.91 हैक्टर खसरा नम्बर 598 रकबा 5.03 हैक्टर में मुकेशसिंह पुत्र रामकुंवारसिंह के नाम दर्ज भूमि में वादी का नाम भवानीसिंह पुत्र रामकुंवारसिंह घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जावे एवं उक्तानुसार दुरूस्ती हेतू भूमिधारी तहसीलदार को आदेश किए जाने का निवेदन वकील वादी ने अपने वादपत्र में किया हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.16 13:27:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादपत्र मे अंकित तथ्यो के सम्बन्ध मे वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना मे तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 1930/भू.अ. /25 दिनांक 26.06.2025 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने पटवारी हल्का रायपुर जागीर की रिपोर्ट के आधार पर अवगत कराया है कि उक्त नाम में यह परिवर्तन राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रारम्भ से ही मुकेश सिंह पुत्र रामकुंवार सिंह जाति राजपूत दर्ज रिकार्ड हैं। भवानीसिंह उर्फ मुकेश सिंह पुत्र रामकुंवार सिंह जाति राजपूत नि. बाडी जोडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के नाम को कोई अन्य व्यक्ति पटवार मण्डल रायपुर जागीर में इसका कोई नहीं है। वादी ने आधार कार्ड,राशन कार्ड, पैन कार्ड व दसवीं की अंकतालिका संलग्न कर रखी है जिसमें नाम भवानी सिंह पुत्र रामकुंवार सिंह दर्ज है। सभी दस्तावेंजो में तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का पता हैं वादी ने एक जमाबन्दी राजस्व ग्राम बाडी जाडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर की सुलग्न कर रखी है। जिसका खाता संख्या 58 है। जिसमें मुकेश सिंह उर्फ भवानीसिंह पुत्र रामकुंवार सिंह जाति राजपुत दर्ज रिकार्ड है। राजस्व ग्राम रायपुर जागीर के भूमि खसरा नम्बर 640, 594, 597, 603, 604, 605, 606, 607, 598 में वादी का नाम मुकेश सिंह पिता रामकुंवा सिंह जाति राजपुत दर्ज रिकार्ड है। जो प्रथम जमाबन्दी अर्थात विरासत खुली तब से ही मुकेशसिंह पिता रामकुंवार सिंह ही दर्ज है। वादी मूल रूप से तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का निवासी है इसलिए अन्य कागजातों से संबधित जानकारी संबंधित ग्राम पंचायत से ही करवाया जाना अपेक्षित है। वकील वादी ने वादपत्र में तहसीलदार श्रीमाधोपुर की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबन्दी संवत 2074-2079, ग्राम पंचायत बाडी जाडी का प्रमाण पत्र, नामांतकरण की नकल, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.16 13:27:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर की पटवारी हल्का रायपुर जागीर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर भिजवाई गई अभिशंषा रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तन ग्राम रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 640 रकबा 0.03 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 594, 595 कुल किता 2 कुल रकबा 0.89 हैक्टर, खसरा नम्ब्र 597 रकबा 0.01 हैक्टर व खसरा नम्बर 6023, 604, 605, 606, 607 कुल किता 5 कुल रकबा 1.91 हैक्टर खसरा नम्बर 598 रकबा 5.03 हैक्टर में मुकेशसिंह पुत्र रामकुंवारसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रमाणित होता है जबकि वादी के अन्य दस्तावेजात् यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, तहसीलदार श्रीमाधोपुर की पटवारी हल्का रायपुर जागीर की जॉच रिपोर्ट में भी वादी का नाम भवानीसिंह पुत्र रामकुंवार सिंह दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुकेशसिंह पुत्र रामकुवारसिंह के स्थान पर भवानीसिंह उर्फ मुकेशसिंह पुत्र रामकुंवारसिंह नाम शुद्ध किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत उद्घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तन ग्राम रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर राजस्थान में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 640 रकबा 0.03 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 594, 595 कुल किता 2 कुल रकबा 0.89 हैक्टर, खसरा नम्बर 597 रकबा 0.01 हैक्टर व खसरा नम्बर 6023, 604, 605, 606, 607 कुल किता 5 कुल रकबा 1.91 हैक्टर खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.16 13:27:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

[illegible] हैक्टर में मुकेशसिंह पुत्र रामकुंवारसिंह के नाम दर्ज भूमि में वादी का नाम [illegible] उर्फ मुकेशसिंह पुत्र रामकुंवारसिंह घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जावे एवं अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। [illegible] अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.16 13:27:06 IST
Reason: SelfAttested